"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 538] रायपुर, सोमवार, दिनांक 11 दिसम्बर 2017 — अग्रहायण 20, शक 1939

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 10 दिसम्बर 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-15/2005/1-13 (सू.अ.प्र.). — सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का बाईसवां) की धारा 15 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ के राज्यपाल छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर श्री एम.के. राउत, सेवा निवृत्त आई.ए.एस. को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करते हैं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीता शांडिल्य, विशेष सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.